



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 01, 1947 शक सम्बत्) [संख्या-47

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	869—875	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	357—359	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	439—442	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-3

नियुक्ति

विज्ञप्ति

23 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-339274/बीस-3/2025-01(04)2023-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के क्रम में दिव्यांगजन उपश्रेणी, पी0एच0 (पी0बी0) के अभ्यर्थी श्री भोला सिंह रावत (अनुक्रमांक 241377) को सहायक अभियोजन अधिकारी, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4600 (सातवें वेतन का पुनरीक्षित वेतन 44900-142400 लेवल-7) के पद पर संयुक्त निदेशक, अभियोजन कार्यालय, जनपद नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त अभ्यर्थी प्रथम नियुक्ति जनपद नैनीताल के शहरी पुलिस थाना एवं जनपदीय अभियोजन कार्यालय/न्यायालय में 15-15 दिनों के प्रशिक्षण में रहेंगे तथा उनकी सेवा "उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015" तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी।
- 3- नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- 4- उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर संयुक्त निदेशक, अभियोजन कार्यालय, जनपद नैनीताल में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(1) अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(2) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र।

(4) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।

(5) इंडियन आफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में शपथ पत्र।

- 5— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 6— नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रनगर में 02 माह का प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल में 01 माह का प्रशिक्षण तथा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में 15 दिनों का प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी।
- 7— उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता का निर्धारण संगत सेवा नियमों के अनुसार पृथक से किया जायेगा।

नियुक्ति

विज्ञप्ति

23 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या—339275/बीस-3/2025-01(04)2023—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के क्रम में दिव्यांगजन उपश्रेणी, पी०एच० (पी०डी०) के अभ्यर्थी श्री क्षितिज सिंह रावत (अनुक्रमांक 235809) को सहायक अभियोजन अधिकारी, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4600 (सातवें वेतन का पुनरीक्षित वेतन 44900-142400 लेवल-7) के पद पर संयुक्त निदेशक, अभियोजन कार्यालय, जनपद—हरिद्वार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1 — उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2— उक्त अभ्यर्थी प्रथम नियुक्ति जनपद हरिद्वार के शहरी पुलिस थाना एवं जनपदीय अभियोजन कार्यालय/न्यायालय में 15-15 दिनों के प्रशिक्षण में रहेंगे तथा उनकी सेवा "उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015" तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी।
- 3— नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- 4— उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर संयुक्त निदेशक, अभियोजन कार्यालय, जनपद हरिद्वार में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—
 - (1) अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
 - (2) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र।
 - (4) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।

(5) इंडियन आफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में शपथ पत्र।

5- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6- नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रनगर में 02 माह का प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल में 01 माह का प्रशिक्षण तथा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में 15 दिनों का प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी।

7- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता का निर्धारण संगत सेवा नियमों के अनुसार पृथक से किया जायेगा।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

31 अक्टूबर, 2025 ई0

पत्रांक-443/तीन-118/च0सं0/2025-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-767/XVIII(3)/2025-03(07)/2016, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना व तहसील रुड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	डन्डेड़ी ख्वाजगीपुर अहतमाल	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार
2-	डन्डेड़ी ख्वाजगीपुर मुस्तहकम	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 नवम्बर, 2025 ई0

संख्या-1376/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार चन्दोला, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-67700-208700 (पे लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अरविन्द कुमार चन्दोला, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 नवम्बर, 2025 ई0

संख्या-1377/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राहुल सुन्दरियाल, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राहुल सुन्दरियाल, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राहुल सुन्दरियाल, अनुभाग अधिकारी को लोक निर्माण अनुभाग-02 में तैनात किया जाता है।

5- श्री राहुल सुन्दरियाल, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

11 नवम्बर, 2025 ई0

संख्या-1473/XXXI(15)G/13(सा10)/2025-राज्यपाल, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन की अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार पुनःप्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4698 (अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात् चयनित नमूना क्षेत्रों में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 10 नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक संचालित किया जायेगा। तारीख 01 नवम्बर, 2025 से तारीख 7 नवम्बर, 2025 तक स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा।

[(फा.सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
सचिव, जनगणना।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 1473/XXXVI(15)/13(सा10)/2025, Dated- November 11, 2025 for general information.

November 11, 2025

No. 1473/XXXVI(15)/13(सा10)/2025--In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, The Governor is pleased to allow the republication of notification for conduct of Pre-test of first phase of Census of India, 2027, notified by the Central Government, in the official gazette of the State of Uttarakhand as follows:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4698 (E).- In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of Pre-test of first phase of Census of India, 2027. The Pre-test of first phase of Census of India, 2027 that is Houselisting and Housing Census in selected sample areas shall be conducted from 10th November, 2025 to 30th November, 2025 in all States and Union Territories. There shall also be an option for self-enumeration from 1st November, 2025 to 7th November, 2025.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India

By Order,

DEEPAK KUMAR,
Secretary, Census.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 01, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 229/XIV-a-45/Admin.A/2020--Ms. Ruchika Narula, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 17.03.2025 to 05.04.2025 with permission to suffix 06.04.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 236/XIV-a-36/Admin.A/2016--Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 32 days w.e.f. 21.05.2025 to 21.06.2025 with permission to suffix 22.06.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL NOTIFICATION

1st November, 2025

No. 338/UHC/Stationery/VIII(a&b)-1/2025-26

CALENDAR-2026																											
			JANUARY					FEBRUARY					MARCH					APRIL									
	SUN			4	11	18	25			1	8	15	22		1	8	15	22	29			5	12	19	26		
	MON			5	12	19	26			2	9	16	23		2	9	16	23	30			6	13	20	27		
	TUE			6	13	20	27			3	10	17	24		3	10	17	24	31			7	14	21	28		
	WED			7	14	21	28			4	11	18	25		4	11	18	25			1	8	15	22	29		
	THU		1	8	15	22	29			5	12	19	26		5	12	19	26			2	9	16	23	30		
	FRI		2	9	16	23	30			6	13	20	27		6	13	20	27			3	10	17	24			
	SAT		3	10	17	24	31			7	14	21	28		7	14	21	28			4	11	18	25			
			MAY					JUNE					JULY					AUGUST									
	SUN		31	3	10	17	24			7	14	21	28			5	12	19	26		30	2	9	16	23		
	MON			4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27		31	3	10	17	24		
	TUE			5	12	19	26		2	9	16	23	30			7	14	21	28			4	11	18	25		
	WED			6	13	20	27		3	10	17	24			1	8	15	22	29			5	12	19	26		
	THU			7	14	21	28		4	11	18	25			2	9	16	23	30			6	13	20	27		
	FRI		1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17	24	31			7	14	21	28		
	SAT		2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	25			1	8	15	22	29		
			SEPTEMBER					OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER									
	SUN			6	13	20	27			4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27		
	MON			7	14	21	28			5	12	19	26		2	9	16	23	30			7	14	21	28		
	TUE		1	8	15	22	29			6	13	20	27		3	10	17	24			1	8	15	22	29		
	WED		2	9	16	23	30			7	14	21	28		4	11	18	25			2	9	16	23	30		
	THU		3	10	17	24			1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17	24	31		
	FRI		4	11	18	25			2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	25			
	SAT		5	12	19	26			3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26			

LIST OF HOLIDAYS

SL. NO.	NAME OF HOLIDAY	MONTH & DATE	DAYS OF THE WEEK	NO. OF DAYS
1.	New Year Day	January 1 st	Thursday	1
2.	Winter Vacation	January 12 th to February 06 th	Monday to Friday	26
3.	Republic Day	January 26 th	Monday	1
4.	Maha Shivratri	February 15 th	Sunday	1
5.	Holi	March 02 nd to 06 th	Monday to Friday	5
6.	*Id-ul-Fitr	March 21 st	Saturday	1
7.	Ram Navami	March 26 th	Thursday	1
8.	Mahavir Jayanti	March 31 st	Tuesday	1
9.	Good Friday	April 03 rd	Friday	1
10.	Ambedkar's Jayanti	April 14 th	Tuesday	1
11.	Vaisakhi	April 14 th	Tuesday	1
12.	Buddha Purnima	May 01 st	Friday	1
13.	*Id-ul-Zuha	May 27 th	Wednesday	1
14.	Summer Vacation	June 22 nd to 25 th	Monday to Thursday	4
15.	*Muharram	June 26 th	Friday	1
16.	Independence Day	August 15 th	Saturday	1
17.	*Barawafat (Milad-un-Nabi)	August 26 th	Wednesday	1
18.	Raksha Bandhan	August 28 th	Friday	1
19.	Janmashtami	September 04 th	Friday	1
20.	Ganesh Chaturthi/Vinayak Chaturthi	September 14 th	Monday	1
21.	Nandashtami	September 19 th	Saturday	1
22.	Mahatma Gandhi's Jayanti	October 02 nd	Friday	1
23.	Dussehra (Vijay Dashmi)	October 19 th to 23 rd	Monday to Friday	5
24.	Deepawali	November 07 th to 13 th	Saturday to Friday	7
25.	Guru Nanak's Birthday and Kartik Purnima	November 24 th	Tuesday	1
26.	Christmas Holidays	December 25 th to 31 st	Friday to Thursday	7

Notes:

- The Holidays marked with (*) can be refixed according to the sighting of the moon.
- There is a separate list of Holidays for the District Judiciary.
- The Registry will remain open during the Winter Vacation.
- The Registry will remain open for half day during the Summer Vacation.
- Black Colour indicates the Court sitting days.
- Blue Colour indicates that the Registry will open for half day.
- Red Colour indicates closing days of the High Court.

By Order of the Court,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND

CALENDAR-2026 (DISTRICT JUDICIARY)

NOTIFICATION

1st November, 2025

No. 339/UHC/Stationery/VIII(a&b)-1/2025-26

CALENDAR-2026																											
JANUARY							FEBRUARY							MARCH							APRIL						
SUN		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29				5	12	19	26			
MON		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30				6	13	20	27			
TUE		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31				7	14	21	28			
WED		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25				1	8	15	22	29			
THU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26				2	9	16	23	30			
FRI	2	9	16	23	30		6	13	20	27			6	13	20	27				3	10	17	24				
SAT	3	10	17	24	31		7	14	21	28			7	14	21	28				4	11	18	25				
MAY							JUNE							JULY							AUGUST						
SUN	31	3	10	17	24			7	14	21	28			5	12	19	26				30	2	9	16	23		
MON		4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27				31	3	10	17	24		
TUE		5	12	19	26		2	9	16	23	30			7	14	21	28					4	11	18	25		
WED		6	13	20	27		3	10	17	24			1	8	15	22	29					5	12	19	26		
THU		7	14	21	28		4	11	18	25			2	9	16	23	30					6	13	20	27		
FRI	1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17	24	31					7	14	21	28		
SAT	2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	25					1	8	15	22	29		
SEPTEMBER							OCTOBER							NOVEMBER							DECEMBER						
SUN		6	13	20	27			4	11	18	25			1	8	15	22	29				6	13	20	27		
MON		7	14	21	28			5	12	19	26			2	9	16	23	30				7	14	21	28		
TUE	1	8	15	22	29			6	13	20	27			3	10	17	24				1	8	15	22	29		
WED	2	9	16	23	30			7	14	21	28			4	11	18	25				2	9	16	23	30		
THU	3	10	17	24			1	8	15	22	29			5	12	19	26				3	10	17	24	31		
FRI	4	11	18	25			2	9	16	23	30			6	13	20	27				4	11	18	25			
SAT	5	12	19	26			3	10	17	24	31			7	14	21	28				5	12	19	26			

LIST OF HOLIDAYS

SL. NO.	NAME OF HOLIDAY	MONTH & DATE	DAYS OF THE WEEK	NO. OF DAYS
1.	New Year Holiday	January 1 st	Thursday	1
2.	Republic Day	January 26 th	Monday	1
3.	Maha Shivratri	February 15 th	Sunday	1
4.	Holi	March 03 rd & 04 th	Tuesday & Wednesday	2
5.	*Id-ul-Fitr	March 21 st	Saturday	1
6.	Ram Navami	March 26 th	Thursday	1
7.	Mahavir Jayanti	March 31 st	Tuesday	1
8.	Good Friday	April 03 rd	Friday	1
9.	Vaisakhi	April 14 th	Tuesday	1
10.	Ambedkar's Jayanti	April 14 th	Tuesday	1
11.	Buddha Purnima	May 01 st	Friday	1
12.	*Id-ul-Zuha	May 27 th	Wednesday	1
13.	*Muharram	June 26 th	Friday	1
14.	Independence Day	August 15 th	Saturday	1
15.	*Barawafat (Milad-Un-Nabi)	August 26 th	Wednesday	1
16.	Raksha Bandhan	August 28 th	Friday	1
17.	Janmashtami	September 04 th	Friday	1
18.	Mahatma Gandhi's Jayanti	October 02 nd	Friday	1
19.	Dussehra (Vijay Dashmi)	October 19 th & 20 th	Monday & Tuesday	2
20.	Deepawali	November 08 th to 10 th	Sunday to Tuesday	3
21.	Guru Nanak's Birthday and Kartik Purnima	November 24 th	Tuesday	1
22.	Christmas Holidays	December 25 th to 31 st	Friday to Thursday	7

Notes:

- The Holidays marked with (*) can be refixed according to the sighting of the moon.
- The District Judge may declare three local holidays in consultation with District Magistrate.
- There will be Winter Vacation from January 02nd to January 30th for the Civil Courts in Districts Almora, Bageshwar, Champawat (except Tanakpur outlying court), Chamoli, Chakrata and Mussoorie (Outlying Court District Dehradun), Nainital (except Haldwani and Ramnagar outlying courts), Pithoragarh, Pauri Garhwal (except Kotdwar outlying court), Rudrapur, Tehri Garhwal and Uttarakashi Districts as shown in Blue.
- There will be Summer Vacation from June 1st to June 30th for the Civil Courts in Districts Dehradun (except Chakrata and Mussoorie outlying court), Haridwar and Udham Singh Nagar along with Haldwani and Ramnagar (Outlying Courts District Nainital), Kotdwar (Outlying Court District Pauri Garhwal) and Tanakpur (Outlying Court District Champawat) as shown in Green.
- The Courts will remain closed on the dates shown by Red.
- There is a separate list of holidays for the High Court.

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 47 हिन्दी गजट/466-भाग 1-क-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 01, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम अजय से बदलकर अजय बिजल्वाण कर लिया है। भविष्य में मुझे अजय बिजल्वाण पुत्र श्री मुरारी लाल बिजल्वाण के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय (मौजूदा पुराना नाम)
पुत्र श्री मुरारी लाल बिजल्वाण
निवासी—सौंद गांव, पो.ओ. मंजगांव,
तहसील डुंडा जिला उत्तरकाशी
(उत्तराखंड)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 532625248102 में त्रुटिवश मेरा नाम नारणी देवी (NARANI DEVI) व मेरे पति का नाम खुशाल सिंह (KHUSAL SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम नारायणी देवी (NARAYANI DEVI) व मेरे पति का सही नाम कुशाल सिंह (KUSHAL SINGH) है। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 B202505011740000012 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे नारायणी देवी (NARAYANI DEVI) पत्नी श्री कुशाल सिंह (KUSHAL SINGH) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नारायणी देवी (NARAYANI DEVI)
पत्नी श्री कुशाल सिंह (KUSHAL SINGH)
निवासी-ग्राम क्यूंजा रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 226601643355 में त्रुटिवश उसका नाम अनीष गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम हर्षित मंगगाई हैं। जो उसके स्थाई निवास प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 UK25ES0100459374 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 42 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित मंगगाई पुत्र संतोषी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संतोषी
निवासी विलेज मासौ मल्ला पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 854892113129 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम गणेश प्रसाद सेमवाल गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सूर्य प्रकाश सेमवाल (SURYA PRAKASH SEMWAL) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 2275 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सूर्य प्रकाश सेमवाल (SURYA PRAKASH SEMWAL) पुत्र श्री ज्योति प्रकाश सेमवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ज्योति प्रकाश सेमवाल
निवासी गढी रोड, श्यामपुर देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम आर्यन (ARYAN) से बदलकर आर्यन सिंह (ARYAN SINGH) कर लिया है। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 19 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे आर्यन सिंह (ARYAN SINGH) S/O MOHAR SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आर्यन (ARYAN) (मौजूदा पुराना नाम)
S/O MOHAR SINGH
निवासी— ग्राम मुण्डा खेड़ा खुर्द हरिद्वार
लक्सर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र आदित्य चौधरी के हाईस्कूल UNIQUE ID 7800926 में माता का नाम त्रुटिवश अन्नू चौधरी गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का वास्तविक नाम शांति चौधरी है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 3685 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य चौधरी पुत्र शांति चौधरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शांति चौधरी पत्नी श्री अमित चौधरी
निवासी—शिवाजी नगर गली नं0 20 ऋषिकेश,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम अभिषेक (Abhishek) से बदलकर अभिषेक ढकाल (Abhishek Dhakal) कर लिया है भविष्य में मुझे अभिषेक ढकाल (Abhishek Dhakal) पुत्र श्री धनी राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अभिषेक (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री धनी राम
निवासी धारावाली, चंद्रबनी, मोहब्बेवाला, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं मीना पंवार पुत्री स्व० बलवन्त सिंह पंवार मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 8983854 में मेरी जन्मतिथि 25.05.1990 व जन्मप्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505901700009337 में जन्मतिथि 25.05.1990 व आधार कार्ड नं० 650104456681 में जन्मतिथि 25.05.1990 एवं पैन कार्ड नं० FKNPP0424D में जन्मतिथि 25.05.1990 अंकित है जोकि बिल्कुल सत्य है। भविष्य में इसे सभी दस्तावेजों में सही माना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मीना पंवार पुत्री स्व० बलवन्त सिंह पंवार
निवासी—18 विवेक विहार, जाखन राजपुर रोड,
नियर अंजली डेयरी, देहरादून, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे पुत्र तुषार भट्ट के केंद्रीय विद्यालय रायवाला के विद्यालयी दस्तावेजों में मेरा नाम राधा भट्ट गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम गीता भट्ट है भविष्य में यही माना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गीता भट्ट, पत्नी स्व० केशव भट्ट
निवासी बी.ई.जी. कैप रोड, रायवाला
देहरादून।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड.न. 845335800185 में त्रुटिवश उसका नाम शिल्पी चौहान (SHILPI CHAUHAN) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ओजस्वी चौहान (OJASVI CHAUHAN) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० UK22ES1600028105 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्वी चौहान (OJASVI CHAUHAN) पुत्री प्रवीण कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रवीण कुमार
निवासी औरगांवाड हरिद्वार उत्तराखण्ड।